

प्रमाण पत्र सं० 347/2023

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

आवेदक सं० 347/2023

चूंकि श्री. Rajeev Kumar Adv ने भरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध निबन्धित सव्यवहारों अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। City Constn Sec IV

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)


इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में वहीं 11 में और उससे अनुक्रमणियों 11 में ता० 01/01/2021 से ता० 10/3/2023 तक तलाश की गयी और ऐसा तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्ठा दन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज के प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्ठादन	दावेदारी	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Moyze Chad Thana 30 Khatke-263 Plot 103, 131 Area 10.09 De		2	Free	From	Encum Home		
				2	Rajeev Kumar	7/11/23	347	

[Signature]
अधिकार अधिकारी,
दस्तावेज
11/7/23


(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

- (ख) 1) बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान अवधि दर्ज करें यशर्त कि इसके बारे में उल्लेख हो।
2) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।




में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सद्व्यवहार और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी सद्व्यवहार और अवधार का पता नहीं पता है।

निम्न व्यक्तियों ने प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(परनाम) Clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- 

(परनाम) :- Clerk

कार्यालय :- जिला अवर निबंधक (बोकारो)

तारीख :- 11/07/23



निबन्धक पदाधिकारी का हस्ताक्षर
11/07/23

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र के सद्व्यवहार और अवधार दिये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिया गया हो तो वैसी दस्तावेजों सद्व्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम को 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

[क] किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

[ख] और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक की अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उनके द्वारा बुंटे गये सद्व्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न बुंटे गये ऐसे सद्व्यवहारों और अवधारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त सम्पत्ति पर पड़ता हो।

